

तारीख हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--	--

21-05-2024

- यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से वकील श्री अनिल कुमार शर्मा अन्तर्गत धारा 1955 राजस्थान 1955 अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट को विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/उतरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 30-5-2024 को पेश हो।

28-05-2024

सहायक कलेक्टर
300 सिमधरी

वादिनी एवं उनके वकील द्वारा प्रस्तुत पत्रिका पर पणवली भ्रात तलब की गयी

वादिनी एवं उनके वकील ने अपने आवेदन पत्र के तलबों के अंतर्गत यह कथन किया कि वादिनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से लोकप्रति से प्रेरित और सप्लीमा से मुक्त ही ऐसी स्थिति में वादिनी अपने वाद को अपने नहीं चलाना चाहती हैं तथा परिपे सप्लीमा विद्दी के अर्थात् त्रिपि पत्रिका

लिहाजा वादिनी का आवेदन पत्र भीतर त्रिपि पत्रिका वाद इसी स्वरुप पर परिपे सप्लीमा विद्दी के अर्थात् त्रिपि पत्रिका

पणवली भ्रात भ्रात और दाखल इसर हो

सहायक कलेक्टर
300 सिमधरी

[Handwritten Signature]
28/5/24
वकील कडीम
कोर व